संख्या–677 /छिहत्तर-1-2026/ 1282975

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026

विषयः- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना स्थलों पर हो रही चोरी को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न अवसंरचनाओं जैसे सोलर पैनल, बैटरी, सरिया, पाइप, वाल्वस इत्यादि की चोरी की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी फर्मों द्वारा एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जा रही है, जिसमें त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। प्रश्नगत प्रकरण में आ रही कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2026 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया। मा0 समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

" मा0 समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि गृह विभाग अपने स्तर से समस्त जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करें कि निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के परिसम्पत्तियों के नुकसान एवं चोरी के प्रकरण में की जाने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही (एफ0आई0आर0 आदि) कराते हुए निस्तारित करायें।"

2- उपरोक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या 133/छिहत्तर-1-2026-क0सं0-1282975 दिनांक 23-01-2026 द्वारा निर्गत शीर्ष समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2026 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु संख्या-15 के संदर्भ में मा0 समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से अपने अधीनस्थ फील्ड स्तर के अधिकारियों को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें,

ताकि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के स्रोत स्थल से अन्तिम छोर तक हो रही परिसम्पत्तियों के नुकसान एवं चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। कृपया इसे महत्तम प्राथमिकता प्रदान करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 24-03-2026
18:08:02
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 677 (1)/छिहत्तर-1-2026, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिला अधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उ०प्र०।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण) ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण) ।
8. समस्त कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 25-03-2026
10:56:04
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।